न्यायालय सहायक कलक्टर, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः— श्री मारिंगा राम (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या :— 23 / 2023

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. सायरीदेवी पत्नी सुजाराम 2. शोभा पुत्री सुजाराम 3. संतोष पुत्री सुजाराम जातिगण माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. किशनलाल पुत्र सुजाराम जाति माली 2. हेमाराम पुत्र सुजाराम जाति माली निवासीगण सोजत सिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0। 3. तहसीलदार सोजत।

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी अधिवक्ता वादीगण उपस्थित।
2. श्री सम्पतराज देवड़ा अधिवक्ता प्रति सं0 01 व 02 उप0।

उप खण्ड अधिकारी सोजत जिला-पाली (राज.)

दिनांक – 07/07/2025

—: निर्णय :—

अधिवक्ता मय वादी ने एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 5028, 5040, 5106 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.5200 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि आई हुई स्थित है। वादी द्वारा अपने हक हिस्से की कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स बंटवाड़ा चाहा गया हैं। प्रकरण में उभय पक्षकारान की सहमति से दिनांक 19.03.2024 को बाद सुनवाई वादी का वाद प्राथमिक रूप से डिकी किया जाकर वादी की भूमि का मौका, कब्जा, रेकर्ड तथा हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किये जाने हेतु प्राथमिक डिकी जारी की जाकर उक्त भूमि का विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार सोजत को आदेशित किया गया। तहसीलदार सोजत ने क्रमांक / रीडर / 2025 / 1059 दिनांक 04.08.2025 को विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में पेश किया, जो सा0मि0 है। प्राप्त माफिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार अधिवक्ता उभय पक्षकारान द्वारा निर्णय पारित कर डिकी जारी किये जाने हेतु निवेदन किया।

अधिवक्ता उभय पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली का ध्यानपुर्वक अध्ययन किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्रस्तावित विभाजन प्रस्ताव का गहनता पूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार होने से माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08.07.2025 वादी का राजस्व वाद डिक्री किया जाकर विवादित भूमि में वादी की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते है।

उपखण्ड अधिकारी
सोजत (राज.)

–: आदेश :–

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 08.07.2025 अनुसार डिक्री बहक वादी विरूद्व प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती है कि सरहद मौजा सोजत चक प्रथम, तहसील सोजत के खसरा नम्बर 5028, 5040, 5106 कुल खसरा 03 कुल रकबा 0.5200 है0 की संयुक्त कब्जे काश्त की कृषि भूमि का वंटवाड़ा / विभाजन खातेदारों के बीच खसरा नम्बर, रकबा एवं लगान का निर्धारण निम्नांकित रूप से किया जाता है तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शे को निर्णय एवं डिक्री पर्चा का भाग बनाया जाता है –

01 ग्राम सोजत चक प्रथम में स्थित कृषि भूमि का विभाजनः–

क्र. स.	नाम खातेदार	ख0सं0	रकबा	किस्म	लगान
1.	हेमाराम पुत्र सुजाराम कौम माली सा0 देह खातेदार।	5106 5040	0.0900 0.0140	चा.प्र. चा.प्र. बंजड़	3.60 0.40
	कुल	02	0.1040	—	4.00
2.	किशनलाल पुत्र सुजाराम कौम माली सा0 देह खातेदार	5040/1 5028/1	0.0260 0.0780	चा.प्र. बंजड चा.प्र.	0.82 3.12
	कुल	02	0.1040	—	3.94
3.	शोभा 1/3 सन्तोष 1/3 पुत्रिया सुजाराम, सायरी देवी पत्नी सुजाराम जाति माली सा0 देह खातेदार	5028	0.3120	चा.प्र.	12.48
	कुल	01	0.3120	—	12.48

तहसीलदार सोजत उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद एवं तरमीम कर पालना न्यायालय हाजा को प्रस्तुत करें। प्रतिवादी को वादी के कब्जे काश्त में दखल अन्दाजी करने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता है। उक्तानुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो। इस निर्णय, डिक्री पर्चा एवं विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा की प्रति तहसीलदार सोजत को पालना हेतु तहरीर के साथ प्रेषित करके पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील/तरतीब जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत

यह निर्णय आज दिनांक 09/09/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मासिंगा राम)
सहायक कलक्टर, सोजत